8

श्री मान् अध्यक्ष / सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

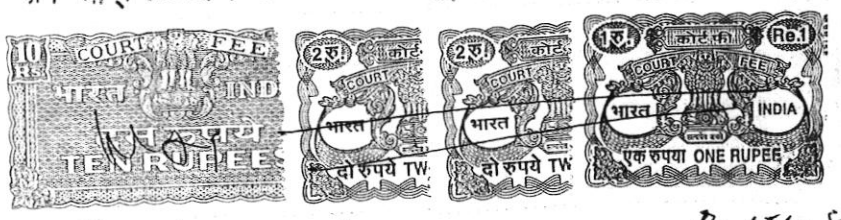

COURT FEE भारत INDIA TEN RUPEES — दो रुपये — दो रुपये — एक रुपया ONE RUPEE

Rs. 151- stamp

RN- 1067-III/10

1संगीता देवी पत्नी श्री रामजियावन कुम्हार

2- जागेश्वर प्रसाद पिता श्री सुखई कुम्हार

दोनों निवासी ग्राम मलदेवा थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिलासीधी म.प्र.

---------- अपीलार्थीगण

व नाम

सरपंच ग्राम पंचायत पडखुरी तहसील रामपुर नैकिन जिलासीधी म०प्र०

-------- उत्तरवादी

ओ.पी. सिंह - एडवोकेट 29-7-10

निग. विरुद्ध अपर आयुक्त न्यायालय रीवा संभाग रीवा के प्र.क्र. 150/पुन०/ 2009- 2010 में - पारित आदेश दिनांक -14.5. 2010 के विरुद्ध अपील.

मान्यवर,

निवेदन है, कि अपीलार्थीगणों के द्वारा कलेक्टर सीधी के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जहां पर प्रकरण दिनांक- 11.6.09 को तर्क हेतु नियत न होने के बावजूद अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। जब इसकी जानकारी अपीलार्थीगण को हुई तो पुर्नस्थापना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो दिनांक- 14.5. 2010 को समय बाधित - मानते हुये निरस्त कर दिया गया, इस आदेश के विरुद्ध यह अपील निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रस्तुत की जारही है:-

1:- यहकि विद्वान अपर आयुक्त न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया केविपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:-यहकि अधीनस्थ न्यायालयने दिनांक- 11.6. 2009 को जो प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया है, उसमें उत्तरवादी अनुपस्थित था, उसकी तलबी नहीं हुई। फिर

क्र. 2

प्रमाः 3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1067–।।।/2010 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02/07/18	आवेदिका की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस.चौहान उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अंपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 150/पुर्नस्थापना/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 14–5–2010 के विरूद्ध म.प्र.भू.राजस्व सहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सांराश यह है कि, आवेदिका द्वारा अपर कलेक्टर सीधी के प्रकरण कमांक 8/अपील/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 8–8–2008 से परिवेदित होकर अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 11–6–2009 को अदम पैरवी में खारिज की गई जिसको पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदिका द्वारा पुर्नस्थापना आवेदन–पत्र पेश किया गया जिसे अपर आयुक्त द्वारा आदेश दिनांक 14–5–2010 को निरस्त किया इसी आदेश से दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदिका अधिवक्ता के तर्क सुने । निगरानी में संलग्न दस्तावेजों एंव रिकार्ड का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदिका के अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिसे पुनः नम्बर पर लेने हेतु आवेदिका द्वारा विधिवत् पुर्नस्थापना आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा–35 (3) के तहत प्रस्तुत किया गया है तथा अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता। इस कारण अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 14–5–2010 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण रेस्टोर्ड कर अपर आयुक्त को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रकरण में गुण–दोषों पर आदेश पारित करें। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावें। पक्षकार सूचित हों। सदस्य	